बिहार सरकार
<u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u>

पत्रांक – प्र06–रा0का0II–02/2013 8136 खाद्य, पटना/दिनांक 27/12/2013

प्रेषक,

अशोक कुमार सिन्हा,
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– SECC डाटा के आधार पर लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्वीकताप्राप्त परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में पात्र परिवारों को नया राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाना है । उक्त अधिनियम की धारा 13(1) एवं (2) के अनुसार प्रत्येक पात्र गृहस्थी में, वरिष्ठ स्त्री, जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम की न हो, राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए, गृहस्थी की मुखिया होगी । जहाँ किसी गृहस्थी में किसी समय कोई स्त्री अथवा अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्री नहीं है, किन्तु अठारह वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य है तो वहाँ गृहस्थी का वरिष्ठ पुरूष सदस्य राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा और महिला सदस्य अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसे राशन कार्डो के लिए, पुरूष सदस्य के स्थान पर, गृहस्थी की मुखिया बन जाएगी ।

सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग एवं शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कराया जा रहा है । उक्त डाटा से पात्र परिवारों की सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ ही इनके राशन कार्ड भी मुद्रित हो सके इसके लिए राशन कार्ड में प्रविष्ट होने वाली सूचनाओं का SECC डाटा में समाहित करने एवं एतद संबंधी सॉफ्टवेयर को पर्याप्त रूप से सक्रिय (enable) करने का अनुरोध सचिव, ग्रामीण विकास विभाग से किया जा चुका है ।

खाद्य सुरक्षा हेतु SECC डाटा के आधार पर पात्र परिवारों की पहचान करने हेतु राज्य स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में मानक सिद्धांतों पर राज्य के बुद्धिजीवियों/आम जन से दिनांक 26.12.2013 तक आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया है। इसके आधार पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा Inclusion/Exclusion Criteria को अंतिम रूप देकर दिनांक 31.12.2013 तक उपलब्ध करा दिया जाएगा । इस संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना SECC का उपयोग करते हुए पात्र परिवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन के साथ–साथ ही Integrated Software के आधार पर इनका राशन कार्ड भी जिला स्तर पर तैयार किया जाएगा ।

अतः जिलान्तर्गत SECC डाटा के मुद्रण के लिए चयनित मुद्रक से SECC डाटा के अंतिम प्रकाशन के साथ–साथ निर्धारित मापदंड के अनुरूप अपवर्जित (Excluded) परिवार को हटाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में पात्र परिवारों की सूची मुद्रित कराई जाय।

पात्र परिवारों की प्रारूप सूची पर ठीक उसी प्रकार व्यापक प्रचार–प्रसार कर आपत्ति/सुझाव का निष्पादन किया जाय जिस प्रक्रिया का पालन SECC की प्रारूप सूची को अंतिम रूप देने में किया गया है । वैसे जिले जहाँ SECC के प्रारूप प्रकाशन को अंतिम रूप देने हेतु आपत्ति/सुझाव की सुनवाई की जा रही हो वहाँ इसके साथ–साथ पात्र परिवारों की

प्रारूप सूची पर भी सुनवाई करते हुए इसका भी निष्पादन कर लिया जाय । जिन जिलों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप SECC के प्रारूप सूची पर आपत्ति/सुझाव का निष्पादन कर लिया गया हो वहाँ पात्र परिवारों की प्रारूप सूची पर अलग से SECC में सुनवाई की प्रक्रिया को अपनाते हुए सात दिनों के अन्दर आपत्ति/सुझाव का निष्पादन कर पात्र परिवारों की सूची को अंतिम रूप दे दिया जाय । यह कार्य हर–हाल में 15.01.2014 तक सम्पन्न करते हुए दिनांक 01.02.2014 के पूर्व राशन कार्ड का मुद्रण कर पूर्वीकताप्राप्त परिवारों को उपलब्ध करा दिया जाय ।

कूपन वितरण के संबंध में पूर्व में दिये गये निदेश एवं प्रक्रिया के अनुसार राशन कार्ड का वितरण शिविर के माध्यम से किया जाय ।

राशन कार्ड मुद्रण में होने वाले व्यय हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा अलग से आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा । इसके लिए कुल परिवारों की संख्या, राशन कार्ड की संख्या, मुद्रण का दर एवं इसमे आने वाले कुल व्यय के संबंध में विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

अनुरोध है कि संलग्न विहित प्रपत्र के अनुसार उक्त निदेशों का अनुपालन करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में पूर्वीकताप्राप्त परिवारों को निर्धारित समय–सीमा के अन्दर राशन कार्ड का वितरण सुनिश्चित किया जाय ।

अनु0:– यथोक्त ।

विश्वासभाजन

मुख्य सचिव, 26.12.13

ज्ञापांक– प्र06–रा0का0II–02/2013 8136 खाद्य, पटना/दिनांक 27/12/2013

प्रतिलिपि – सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना एवं सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव 27.12.13

ज्ञापांक– प्र06–रा0का0II–02/2013 8136 खाद्य, पटना/दिनांक 27/12/2013

प्रतिलिपि – सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि उक्त निर्धारित समय–सीमा के अन्दर राशन कार्ड का मुद्रण एवं वितरण सुनिश्चित करायेंगे । इसमे किसी प्रकार की भी शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा ।

प्रधान सचिव 27.12.13

D:\YEARS - 2012\SECTION - 06\Ration Coupon.doc

(27)

मुख्य पृष्ठ

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

(खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राशन कार्ड)

अन्त्योदय/पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी राशन कार्ड

2014-2019

राशन कार्ड में सम्मिलित व्यक्तियों का पूरा विवरण

क्रमांक	पूरा नाम	लिंग	उम्र/जन्म तिथि	वैवाहिक स्थिति	कार्डधारी से संबंध
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
कुल व्यक्तियों की संख्या					
कार्डधारी का हस्ताक्षर					

अन्त्योदय/पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी राशन कार्ड

कार्डधारी का पारिवारिक फोटो

राशन कार्ड संख्या- ....
सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित
जनगणना गृह क्रमांक-..............................

जिला का नाम/कोड

1. कार्डधारी का पूरा नाम (वरिष्ठ महिला का नाम)-...........................
(गृहस्थी का मुखिया 18 वर्ष या उससे अधिक की महिला होगी । यदि 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाएँ तो पुरूष गृहस्थी का मुखिया होगा । जैसे ही 18 वर्ष की महिला की उम्र होगी वह गृहस्थी की मुखिया हो जायेगी)

2. पति/पिता का नामः- ....

3. पेशाः- ....

4. आवासीय पताः- ....

5. मुहल्ला/ग्रामः-.......6. पंचायत/वार्ड नं0.........7. प्रखंड का नाम/नगर निकाय का नाम

8. लक्षित जन वितरण प्रणाली के दुकानदार का नाम- ....

9. पंचायत/वार्ड नं0ः-......................10. प्रखंड का नाम/ नगर निकाय का नाम....

11. राशन कार्ड निर्गत की तिथिः-............................

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत
प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

वर्ष..................

माह का नाम	चावल की मात्रा किलो ग्राम में	गेहूँ की मात्रा किलो ग्राम में	मोटा अनाज की मात्रा किलो ग्राम में	चीनी की मात्रा किलो ग्राम में	किरासन तेल की मात्रा लीटर में	अन्य	हस्ताक्षर दुकानदार	हस्ताक्षर प्राप्तकर्त्ता
जनवरी								
फरवरी								
मार्च								
अप्रैल								
मई								
जून								
जुलाई								
अगस्त								
सितम्बर								
अक्टूबर								
नवम्बर								
दिसम्बर								

अंतिम पृष्ठ

आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र जिसके अंतर्गत

1. कॉल सेंटर/हेल्प लाईन का दूरभाष संख्या-

2. जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का दूरभाष संख्या-

राशन कार्ड का मूल्यः- रू0 ....?